

- सभी छात्रों को समय पर कक्षा में पहुंचना चाहिए और शिक्षक की अनुमति के बिना कक्षा नहीं छोड़नी चाहिए।
- छात्रों का व्यवहार, कॉलेज परिसर के भीतर और बाहर दोनों एक पेशेवर संस्थान के लिए सम्म्य और उचित होना चाहिए।
- छात्रों को अपने वाहन केवल आवंटित स्थान पर पार्क करने होंगे। उन्हें चार पहिया वाहनों को परिसर में नहीं लाना चाहिए क्योंकि वे कक्षाओं के लिए आते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रैगिंग के दोषी पाए गए छात्रों को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- छात्रों को परिसर के भीतर मोबाइल फोन लाने या उपयोग करने की मनाही है।
- यह, एक पर्यावरण के अनुकूल परिसर होने के नाते, प्लास्टिक या अन्य कचरा कॉलेज के अंदर या परिसर में नहीं फेंका जाना चाहिए।
- छात्र समय-समय पर या नोटिस / परिपत्र और ईमेल के माध्यम से उन्हें जारी किए गए निर्देशों के बारे में सूचित करेंगे।
- छात्रों से शैक्षणिक / सामाजिक / पर्यावरणीय पहल की दिशा में योगदान करने की उम्मीद की जाती है जो संस्थान शुरू कर सकता है।
- शहर या बाहर इंटरकॉलेज कार्यक्रम में भागीदारी, प्रिंसिपल की अनुमति के अधीन है।

- स्टडी टूर सहित आउटस्टेशन कार्यक्रमों के लिए, छात्रों को अपने माता-पिता से एक अनुमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- छात्रों को अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान शालीनता और सजावट को बनाए रखना चाहिए, यह परिसर के अंदर या बाहर होना चाहिए।
- लैपटॉप / कंप्यूटर का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए परिसर के भीतर किया जाना है।
- छात्रों के बीच कोई भी अस्वास्थ्यकर संबंध जो उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, उनके व्यक्तिगत स्थान को भंग कर सकते हैं या संस्थान की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
- कॉलेज परिसर एक नो-स्मोकिंग / अल्कोहल-फ्री ज़ोन है।
- प्रत्येक छात्र को अपना पहचान पत्र ले जाना चाहिए और अधिकारियों द्वारा मांग करने पर इसका उत्पादन करना चाहिए।
- छात्रों को प्राचार्य की अनुमति के बिना, कॉलेज में बैठकें आयोजित करने या नोटिस वितरित करने, धन इकट्ठा करने और बैनर, झंडे, पोस्टर आदि का प्रदर्शन करने की मना ही है।
- परिसर में राजनीतिक / संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उन आधिकारिक गतिविधियों को बचाएं जिन्हें विशेष रूप से कॉलेज प्रशासन द्वारा अनुमति या प्रायोजित किया जाता है।
- कॉलेज परिसर में अनैतिक, असामाजिक, सांप्रदायिक और राष्ट्रविरोधी सभी अभिव्यक्तियां पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।

- प्राचार्य कॉलेज के नियमों की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी होगा। इन नियमों से आच्छादित मामलों को प्राचार्य के विवेक पर नहीं छोड़ा जाता है और उनका निर्णय अंतिम होगा।